

अनुसूचित जाति एवं सामान्य गरीब परिवारों के व्यक्तियों की  
पुत्रियों की शादी एवं उनके परिजनों के इलाज हेतु  
अनुदान योजना

अनुसूचित जाति एवं सामान्य वर्ग के निर्धन एवं असहाय व्यक्तियों जिनकी वार्षिक आय सीमा शहरी क्षेत्र में रू0 25546/- प्रति परिवार प्रति वर्ष एवं ग्रामीण क्षेत्र में रू0 19884/- प्रति परिवार प्रति वर्ष हो, के पुत्रियों की शादी हेतु रू0 10 हजार तथा उनके परिजनों की बीमारी के इलाज हेतु रू0 5000/- आर्थिक सहायता दिये जाने की योजना संचालित है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र में अनुसूचित जाति की पुत्रियों की शादी हेतु रू0 20,000/- की सहायता दी जाती है। इस योजनान्तर्गत वर्ष 2009-10 में रू0 11500.00 लाख का बजट प्राविधान है।